26.11.21

वकालत नामा

विद्वान अधिवक्तागण उप-

तहसीलदार पचपदरा के

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ,

जिस पर दोनों पक्ष के

विद्वान अधिवक्तागण से अंतिम

डिक्री जारी कराने का निवेदन

किया गया।

वादीगण के वाद विभाजन

प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए

डिक्री जलग से लिखाई जाकर

खुले न्यायालय में सुनाई गई

पश्चावली तैयार कराने हेतु नस्ती

के रूप में।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

24.11.21

वादीगण के [illegible]

1991 [illegible] पेश [illegible] हुई, किया

गया। डिक्री पश्चि जारी की

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:19:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा